निर्णय ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 60/2023 (धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम)

सरकार जरिये श्री अशोक कुमार योगी, प्रवर्तन निरीक्षक, जयपुर प्रथम।

प्रार्थी

बनाम

समीउद्दीन पुत्र नुरूद्दीन, निवासी 106, शिवाजी नगर कच्ची बस्ती, माताजी के मन्दिर के पास, शास्त्री नगर, जयपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्तशुदा 37 घरेलू गैस सिलेण्डर (30 बीपीसी, 03 एचपीसी व 4 आईओसी) 240.800 किग्रा एलपीजी गैस, 01 विद्युत मोटर मय पाईप, नोजल, 02 लोहे के गैस ट्रांसफर करने के नोजल, 01 इलेक्ट्रोनिक कांटा को राजसात करने बाबत।

जिला कलक्टर जयपुर जिला, जयपुर

उपस्थित : पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक 27.02.2025

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 06.11.2023 को जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलण्डर्स का वाणिज्यिक दुरूपयोग करने की सूचना प्राप्त होने पर बहमराह प्रवर्तन स्टाफ के साथ दुकान नं. 14, सेक्टर 3, इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर पहुंचे। वक्त जांच मौके पर अप्रार्थी समीउद्दीन मिला। वक्त जांच मौके पर एवं दुकान नं. 12 के बेसमेन्ट में स्थित गोदाम से 37 घरेलू गैस सिलेण्डर (30 बीपीसी, 03 एचपीसी व 4 आईओसी) 240.800 किग्रा एलपीजी गैस, 01 विद्युत मोटर मय पाईप, नोजल, 02 लोहे के गैस ट्रांसफर करने के नोजल, 01 इलेक्ट्रोनिक कांटा जब्त किए गए। पूछताछ पर अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर्स से वाहनों में गैस रिफिलिंग करना स्वीकार किया। अप्रार्थी द्वारा मौके पर गैस कनेक्शन संबंधी वैध दस्तावेज, अनुज्ञा पत्र आदि पेश नहीं किये गये तथा कोई संतोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया। मौके पर मैसर्स सन्नी गैस ऐजेन्सी के प्रतिनिधि को बुलाकर सिलेण्डर्स का तौल कराया गया एवं सुरक्षा की दृष्टि से सुपुर्दगी में दिया गया। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस का वाणिज्यिक दुरूपयोग कर कालाबाजारी में सिलेण्डर क्रय कर द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लघंन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। इस तरह जब्तशुदा 37 घरेलू गैस सिलेण्डर (30 बीपीसी, 03 एचपीसी व 4 आईओसी) 240.800 किग्रा एलपीजी गैस, 01 विद्युत मोटर मय पाईप, नोजल, 02 लोहे के गैस ट्रांसफर करने के नोजल, 01 इलेक्ट्रोनिक कांटा को राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

करने एवं एल.पी.जी. ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।

2. प्रकरण अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त सिलेण्डर की एल.पी.जी. ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश 07.11.2023 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया गया कि जब्त सिलेण्डर्स को नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण करा कर पालना प्रतिवेदन भिजवाये। नोटिस अप्रार्थीगण जारी किये गये। अप्रार्थी द्वारा जरिये थाना नोटिस प्राप्त किया गया, तथापि अप्रार्थी अनुपस्थित है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर पत्रावली में बहस एक पक्षीय पैरोकार रसद सुनी गई।

3. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वक्त जांच मौके पर 37 घरेलू गैस सिलेण्डर (30 बीपीसी, 03 एचपीसी व 4 आईओसी) 240.800 किग्रा एलपीजी गैस, 01 विद्युत मोटर मय पाईप, नोजल, 02 लोहे के गैस ट्रांसफर करने के नोजल, 01 इलेक्ट्रोनिक कांटा पाए गये है, जिनसे अवैध रिफिलिंग का कार्य किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा मौके पर गैस कनेक्शन संबंधी कोई कागजात पेश नहीं किये गये तथा कोई संतोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया। घरेलू गैस केन्द्र सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को न्यून दर पर उपलब्ध कराई जाती हैं जिसका वाणिज्यिक उपयोग किया जाना वर्जित है एवं अप्रार्थी के कब्जे से निर्धारित सीमा से अधिक घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त किए गए है, जिनके स्वामित्त्व के कोई दस्तावेज अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए है। अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से रिफिलिंग का व्यापार किया जा रहा है। अप्रार्थी द्वारा घरेलू/वाणिज्यिक सिलेण्डर का दुरूपयोग कर कालाबाजारी कर सिलेण्डर क्रय कर द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लघंन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः 37 घरेलू गैस सिलेण्डर (30 बीपीसी, 03 एचपीसी व 4 आईओसी) 240.800 किग्रा एलपीजी गैस, 01 विद्युत मोटर मय पाईप, नोजल, 02 लोहे के गैस ट्रांसफर करने के नोजल, 01 इलेक्ट्रोनिक कांटा को राजसात किये जाने के आदेश फरमावे।

4. पैरोकार रसद द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जब्ती दिनांक 06.11.2023 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

5. अप्रार्थी की ओर से जब्त गैस सिलेण्डर्स एवं अन्य सामग्री के स्वामित्त्व एवं अनाधिकृत तौर पर किए जा रहे रिफिलिंग के संबंध में कोई दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए है। मौके पर 37 घरेलू गैस सिलेण्डर (30 बीपीसी, 03 एचपीसी व 4 आईओसी) 240.800 किग्रा एलपीजी गैस, 01 विद्युत मोटर मय पाईप, नोजल, 02 लोहे के गैस ट्रांसफर करने के नोजल, 01 इलेक्ट्रोनिक कांटा पाए गए है, जिससे गैस के अवैध भण्डारण एवं रिफिलिंग किए जाने की पुष्टि होती है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलू/वाणिज्यिक गैस का दुरूपयोग कर द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लघंन किया जाना स्पष्ट जाहिर होता है। फलस्वरूप जब्त शुदा 37 घरेलू गैस सिलेण्डर (30 बीपीसी, 03 एचपीसी व 4

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

आईओसी) 240.800 किग्रा एलपीजी गैस, 01 विद्युत मोटर मय पाईप, नोजल, 02 लोहे के गैस ट्रांसफर करने के नोजल, 01 इलेक्ट्रोनिक कांटा को राजसात किया जाना वाजिब समझते है।

6. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में अप्रार्थीगण के कब्जे से जब्त 37 घरेलू गैस सिलेण्डर (30 बीपीसी, 03 एचपीसी व 4 आईओसी) 240.800 किग्रा एलपीजी गैस, 01 विद्युत मोटर मय पाईप, नोजल, 02 लोहे के गैस ट्रांसफर करने के नोजल, 01 इलेक्ट्रोनिक कांटा को राजसात (Confiscate) किये जाने आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त सिलेण्डर के अन्तरिम निस्तारण किये जाने के आदेश पूर्व में दिनांक 07.11.2023 को पारित किये जा चुके है, तदनुसार अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष के निर्धारित मद में जमा करा कर पालना सुनिश्चित करें।

7. निर्णय प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

8. निर्णय आज दिनांक 27.02.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर

जिला कलक्टर
जयपुर जिला, जयपुर